

नया कीटनाशी विनिर्माण अनुज्ञप्ति हेतु चेकलिस्ट की विवरणी

क्र० सं०	आवश्यक अभिलेखों की विवरणी	पृ० सं०	टिप्पणी
1	प्रपत्र III में आवेदन सभी सूचनाओं सहित हस्ताक्षरित एवं तिथि।		
2	प्रति कीटनाशी 50/- अधिकतम 500/-रु० का कोषागार चालान की मूलप्रति। (शीर्ष- कृषि कार्य 010 पौ०सं०यो० से प्राप्तियाँ, पौ०सं०यो० कीट अधिनियम 1968 के अंतर्गत अनुज्ञा शुल्क से आये उपशीर्ष-0001-पौ०सं० विपत्र कोड-R-0401001070001)		
3	प्रतिष्ठान के आवेदनकर्ता का पदनाम एवं आवश्यक होने पर सक्षम प्राधिकार से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु प्राधिकार पत्र		
4	आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का अद्यतन पासपोर्ट साईज का दो फोटो।		
5	आवेदक का फोटो पहचान-पत्र स्वअभिप्रमाणित प्रति।		
6	सी०आई०बी० अनुबंध की अभिप्रमाणित छायाप्रति।		
7	बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अनापत्ति प्रमाण-पत्र।		
8	वाणिज्य कर शोधन अनापत्ति प्रमाण-पत्र।		
9	उद्योग विभाग से निबंधन/कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निबंधन पत्र।		
10	माप-तौल अनुज्ञप्ति की प्रति।		
11	कीटनाशी के बी०आई०एस० मानक परीक्षण हेतु आवश्यक उपकरणों, रसायन एवं कॉच उपकरण की सूची एवं इनके परीक्षण हेतु प्रयोगशाला संबंधी अभिलेख		
12	कीटनाशी परीक्षण हेतु रसायनज्ञ की नियुक्ति/नियोजन संबंधी पत्र/शपथ पत्र/प्रमाण-पत्र		
13	विनिर्माण स्थल की लैण्ड ओनरशिप/लीज संबंधी प्रमाण-पत्र		
14	धारा-33 के तहत शपथ पत्र		
15	कीटनाशी विनिर्माण स्थल पर अग्निशमन सहित अन्य सुरक्षा मानकों के संबंध में सामग्रियों की सूची प्रमाण-पत्र के साथ		
16	प्रिंसिपल निर्गत करने वाले व्यक्ति का भी प्रमाणित हस्ताक्षर का प्राधिकार पत्र		
17	संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/स्थानीय पदाधिकारी का स्थलीय जाँच प्रतिवेदन। (आवेदन प्राप्त होने के बाद अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा स्थलीय जाँच प्रतिवेदन प्राप्त की जायेगी)		

कीटनाशी विनिर्माण अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु चेकलिस्ट की विवरणी

क्र० सं०	आवश्यक अभिलेखों की विवरणी	पृ० सं०	टिप्पणी
1	प्रपत्र IV में आवेदन सभी सूचनाओं सहित हस्ताक्षरित एवं तिथि।		
2	प्रति कीटनाशी 50/- अधिकतम 500/-रु० का कोषागार चालान की मूलप्रति। (शीर्ष- कृषि कार्य 010 पौ०सं०यो० से प्राप्तियाँ, पौ०सं०यो० कीट अधिनियम 1968 के अंतर्गत अनुज्ञा शुल्क से आये उपशीर्ष-0001-पौ०सं० विपत्र कोड-R-0401001070001)		
3	विलम्ब से आवेदन करने पर अधिकतम 3 माह तक विलम्ब शुल्क, प्रथम माह तक रु० 50/-, दूसरे माह तक रु० 100/-, तीसरे माह तक रु० 150 /-		
4	पूर्व अनुज्ञप्ति की मूलप्रति		
5	प्रतिष्ठान के आवेदनकर्ता का पदनाम एवं आवश्यक होने पर सक्षम प्राधिकार से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु प्राधिकार पत्र		
6	आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का अद्यतन पासपोर्ट साईज का दो फोटो।		
7	आवेदक का फोटो पहचान-पत्र स्वअभिप्रमाणित प्रति।		
8	बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का नवीकृत प्रमाण-पत्र।		
9	वाणिज्य कर विभाग का अद्यतन कर देयता प्रमाण-पत्र।		
10	माप-तौल अनुज्ञप्ति का नवीकरण प्रमाण-पत्र		
11	विनिर्मित कीटनाशी के प्रयोगशाला में बी०आई०एस० मानक परीक्षण करने का प्रमाण		
12	गत अनुज्ञप्ति अवधि में विनिर्मित कीटनाशी एवं विक्रय की विवरणी।		
13	कीटनाशी विनिर्माण स्थल पर अग्निशमन सहित अन्य सुरक्षा मानकों के संबंध में सामग्रियों की सूची प्रमाण-पत्र के साथ		
14	प्रिंसिपल निर्गत करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर का प्राधिकार पत्र		
15	संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/स्थानीय पदाधिकारी का स्थलीय जाँच प्रतिवेदन।(आवेदन प्राप्त होने के बाद अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा स्थलीय जाँच प्रतिवेदन प्राप्त की जायेगी)		
16	धारा 33 के तहत शपथ पत्र।		

अनुसूची-2

कीटनाशी विनिर्माण अनुज्ञप्ति (नया एवं नवीकरण) निष्पादन हेतु
पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए समय-सीमा (कुल 27 दिन) का निर्धारण

क्र० सं०	सहायक / पदाधिकारी	निर्धारित समय
1	सहायक	1. आवेदन प्राप्त होने की तिथि के दो दिनों के अन्दर आवेदन पत्र में सूचनाओं तथा अनुलग्नकों की समीक्षा करेंगे एवं अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुकूल स्थिति होने पर स्थलीय जाँच हेतु प्रस्ताव संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) को उपस्थापित करेंगे। आवेदन पत्र में सूचना सही नहीं रहने तथा चेकलिस्ट अनुसूची-1(क)/(ख) में वांछित अभिलेख नहीं रहने के स्थिति में प्रतिष्ठान के आवेदन कारण सहित अस्वीकृत करने का प्रस्ताव उपस्थापित करेंगे। 2. स्थलीय जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के दो दिनों के अन्दर जाँच के बिन्दुओं का स्पष्ट उल्लेख करते हुये प्रस्ताव उपस्थापित करेंगे।
2	प्रशाखा पदाधिकारी	सहायक द्वारा उपस्थापित प्रस्ताव का समीक्षा करेंगे तथा एक दिन के अन्दर उच्च पदाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव उपस्थापित करेंगे।
3	सहायक निदेशक (सां०)	प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा उपस्थापित किये गये प्रस्ताव के समीक्षा के साथ अनुमोदन सहित एक दिन में उच्च पदाधिकारी को अग्रसारित करेंगे
4	संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान)	अग्रसारित प्रस्ताव के आलोक में स्थलीय जाँच हेतु अथवा आवेदन अस्वीकृत करने की कार्रवाई एक दिन के अन्दर सुनिश्चित करेंगे।
5	स्थलीय जाँच पदाधिकारी	स्थलीय जाँच पदाधिकारी 15 दिनों के अन्दर परिशिष्ट-1 में उल्लिखित बिन्दुओं के संबंध में विनिर्माण प्रतिष्ठान की स्थलीय जाँच की कार्रवाई पूर्ण कर प्रतिवेदन कृषि निदेशक, बिहार को उपलब्ध करेंगे तथा इसकी प्रति संयुक्त कृषि निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करेंगे।
6	राज्य स्तरीय अनुज्ञापन पदाधिकारी	अनुमोदित प्रस्ताव के आलोक में दो दिनों के अंदर कीटनाशी विनिर्माण अनुज्ञप्ति/नवीकरण आदेश निर्गत करेंगे।

नोट :-आवेदन पत्र, मोबाईल नं० पूर्ण पते के साथ स्वीकार की जायेगी। कागजात की आंशिक कमी रहने पर दूरभाष पर सम्पर्क कर आवेदन संबंधित सहायक द्वारा पूर्ण करायी जा सकेगी।

नया कीटनाशी विपणन अनुज्ञप्ति हेतु चेकलिस्ट की विवरणी

क्र० सं०	आवश्यक अभिलेखों की विवरणी	पृ० सं०	टिप्पणी
1	प्रपत्र VI में आवेदन सभी सूचनाओं सहित हस्ताक्षरित एवं तिथि।		
2	प्रति कीटनाशी 30/- अधिकतम 300/-रु० का कोषागार चालान की मूलप्रति। (शीर्ष- कृषि कार्य 010 पौ०सं०यो० से प्राप्तियाँ, पौ०सं०यो० कीट अधिनियम 1968 के अंतर्गत अनुज्ञा शुल्क से आये उपशीर्ष-0001-पौ०सं० विपत्र कोड-R-0401001070001)		
3	प्रतिष्ठान के आवेदनकर्ता का पदनाम एवं आवश्यक होने पर सक्षम प्राधिकार से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु प्राधिकार पत्र		
4	आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का अद्यतन पासपोर्ट साईज का दो फोटो।		
5	आवेदक का फोटो पहचान-पत्र स्वअभिप्रमाणित प्रति।		
6	सी०आई०बी० अनुबंध की अभिप्रमाणित छायाप्रति।		
7	कंपनी का कीटनाशी विनिर्माण अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र।		
8	अनुज्ञप्ति प्राप्त करने अथवा वाणिज्यिक अनुबंध में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाले प्रतिष्ठान के संबंध में कृषि निदेशक द्वारा स्वीकृति पत्र।		
9	वाणिज्य कर पंजीकरण प्रमाण-पत्र।		
10	कंपनी अधिनियम के अंतर्गत निबंधन पत्र।		
11	कृषि निदेशक, बिहार को संबोधित प्रिंसिपल निर्गत करने वाले व्यक्ति का प्रमाणित हस्ताक्षर सहित प्राधिकार पत्र		
12	फार्म-VID में कंपनी द्वारा उपयुक्त सूचनाओं सहित निदेशक, कृषि, बिहार के नाम से निर्गत प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की तीन प्रति।		
13	विनिर्माण प्रतिष्ठान का बिहार में वाणिज्यिक अनुबंध वाले प्रतिष्ठान के बीच नोटरी द्वारा प्रमाणित अनुबंध पत्र की प्रति। (मार्केटिंग एग्रीमेन्ट)		
14	कार्यालय/भंडार स्थल की ओनरशिप/लीज संबंधी प्रमाण-पत्र (किरायानामा)		
15	कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा-33 के तहत शपथ पत्र		
16	कीटनाशी भंडारण स्थल पर अग्निशमन सहित अन्य सुरक्षा मानकों के संबंध में सामग्रियों की सूची प्रमाण-पत्र के साथ		
17	संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/स्थानीय पदाधिकारी का स्थलीय जाँच प्रतिवेदन।(आवेदन प्राप्त होने के बाद अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा स्थलीय जाँच प्रतिवेदन प्राप्त की जायेगी)		

सहायक

प्रशाखा पदा०

स०कृ०निदे०(सां०)

सं०कृ०निदे०

कृषि निदेशक

कीटनाशी विपणन अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु चेकलिस्ट की विवरणी

क्र० सं०	आवश्यक अभिलेखों की विवरणी	पृ० सं०	टिप्पणी
1	प्रपत्र VII में आवेदन सभी सूचनाओं सहित हस्ताक्षरित एवं तिथि।		
2	प्रति कीटनाशी 30/- अधिकतम 300/-रु० का कोषागार चालान की मूलप्रति। विलम्ब से आवेदन करने पर अधिकतम 3 माह तक विलम्ब शुल्क, प्रथम माह में 10/-, दूसरे माह में 20/-, तीसरे माह में 30/- (शीर्ष- कृषि कार्य 010 पौ०सं०यो० से प्राप्तियाँ, पौ०सं०यो० कीट अधिनियम 1968 के अंतर्गत अनुज्ञा शुल्क से आये उपशीर्ष-0001-पौ०सं० विपत्र कोड-R-0401001070001)		
3	प्रतिष्ठान के आवेदनकर्ता का पदनाम एवं आवश्यक होने पर सक्षम प्राधिकार से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु प्राधिकार पत्र		
4	आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का अद्यतन पासपोर्ट साईज का दो फोटो।		
5	आवेदक का फोटो पहचान-पत्र स्वअभिप्रमाणित प्रति।		
6	पूर्व में निर्गत कीटनाशी विपणन अनुज्ञप्ति पत्र की मूलप्रति		
7	कंपनी का कीटनाशी विनिर्माण अनुज्ञप्ति का नवीकरण प्रमाण-पत्र।		
8	वाणिज्य कर विभाग का अद्यतन कर देयता प्रमाण-पत्र।		
10	कृषि निदेशक, बिहार को संबोधित प्रिंसिपल निर्गत करने वाले व्यक्ति का प्रमाणित हस्ताक्षर सहित प्राधिकार पत्र		
11	फार्म-VID में कंपनी द्वारा उपयुक्त सूचनाओं सहित निदेशक, कृषि, बिहार के नाम से निर्गत प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की तीन प्रति।		
12	गत अनुज्ञप्ति अवधि में राज्य में कीटनाशी की प्राप्ति तथा विक्रय की विवरणी।		
13	कीटनाशी भंडारण स्थल पर अग्निशमन सहित अन्य सुरक्षा मानकों के संबंध में सामग्रियों की सूची प्रमाण-पत्र के साथ		
14	संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/स्थानीय पदाधिकारी का स्थलीय जाँच प्रतिवेदन।(आवेदन प्राप्त होने के बाद अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा स्थलीय जाँच प्रतिवेदन प्राप्त की जायेगी)		
15	विनिर्माण प्रतिष्ठान का बिहार में वाणिज्यिक अनुबंध वाले प्रतिष्ठान के बीच नोटरी द्वारा प्रमाणित अनुबंध पत्र की प्रति। (मार्केटिंग एग्रीमेन्ट)		
16	कार्यालय/भंडार स्थल की ओनरशिप/लीज संबंधी प्रमाण-पत्र (किरायानामा)		
17	कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा-33 के तहत शपथ पत्र		

सहायक

प्रशाखा पदा०

स०कृ०निदे०(सां०)

स०कृ०निदे०

कृषि निदेशक

अनुसूची-4

कीटनाशी विपणन अनुज्ञप्ति (नया एवं नवीकरण) निष्पादन हेतु
पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए समय-सीमा (कुल 27 दिन) का निर्धारण

क्र० सं०	सहायक/पदाधिकारी	निर्धारित समय
1	सहायक	1. आवेदन प्राप्त होने की तिथि के दो दिनों के अन्दर आवेदन पत्र में सूचनाओं तथा अनुलग्नकों की समीक्षा करेंगे एवं अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुकूल स्थिति होने पर स्थलीय जाँच हेतु प्रस्ताव संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) को उपस्थापित करेंगे। आवेदन पत्र में सूचना सही नहीं रहने तथा चेकलिस्ट अनुसूची-3(क)/(ख) में वांछित अभिलेख नहीं रहने के स्थिति में प्रतिष्ठान के आवेदन कारण सहित अस्वीकृत करने का प्रस्ताव उपस्थापित करेंगे। 2. स्थलीय जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के दो दिनों के अन्दर जाँच के बिन्दुओं का स्पष्ट उल्लेख करते हुये प्रस्ताव उपस्थापित करेंगे।
2	प्रशाखा पदाधिकारी	सहायक द्वारा उपस्थापित प्रस्ताव का समीक्षा करेंगे तथा एक दिन के अन्दर उच्च पदाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव उपस्थापित करेंगे।
3	सहायक निदेशक (सां०)	प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा उपस्थापित किये गये प्रस्ताव के समीक्षा के साथ अनुमोदन सहित एक दिन में उच्च पदाधिकारी का अग्रसारित करेंगे
4	संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान)	अग्रसारित प्रस्ताव के आलोक में स्थलीय जाँच हेतु अथवा आवेदन अस्वीकृत करने की कार्रवाई एक दिन के अन्दर सुनिश्चित करेंगे।
5	स्थलीय जाँच	स्थलीय जाँच पदाधिकारी 15 दिनों के अन्दर परिशिष्ट-2 में उल्लिखित बिन्दुओं के संबंध में विपणन प्रतिष्ठान/कॉमर्शियल पेस्ट कंट्रोल प्रतिष्ठान की स्थलीय जाँच की कार्रवाई पूर्ण कर प्रतिवेदन कृषि निदेशक, बिहार को उपलब्ध करेंगे तथा इसकी प्रति संयुक्त कृषि निदेशक, पौधा संरक्षण, बिहार, पटना को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु उपलब्ध करेंगे।
6	राज्य स्तरीय अनुज्ञापन पदाधिकारी	अनुमोदित प्रस्ताव के आलोक में दो दिनों के अंदर कीटनाशी विपणन अनुज्ञप्ति/नवीकरण आदेश निर्गत करेंगे।

नोट :-आवेदन पत्र, मोबाईल नं० पूर्ण पते के साथ स्वीकार की जायेगी। कागजात की आंशिक कमी रहने पर दूरभाष पर सम्पर्क कर आवेदन संबंधित सहायक द्वारा पूर्ण करायी जा सकेगी।

नया कॉमर्शियल पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन की अनुज्ञप्ति हेतु चेकलिस्ट की विवरणी

क्र० सं०	आवश्यक अभिलेखों की विवरणी	पृ० सं०	टिप्पणी
1	प्रपत्र VIA में आवेदन सभी सूचनाओं सहित हस्ताक्षरित एवं तिथि।		
2	1000/-रु० का कोषागार चालान की मूलप्रति। (शीर्ष- कृषि कार्य 010 पौ०सं०यो० से प्राप्तियाँ, पौ०सं०यो० कीट अधिनियम 1968 के अंतर्गत अनुज्ञा शुल्क से आये उपशीर्ष-0001-पौ०सं० विपत्र कोड-R-0401001070001)		
3	प्रतिष्ठान के आवेदनकर्ता का पदनाम एवं आवश्यक होने पर सक्षम प्राधिकार से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु प्राधिकार पत्र		
4	आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का अद्यतन पासपोर्ट साईज का दो फोटो।		
5	आवेदक का फोटो पहचान-पत्र स्वअभिप्रमाणित प्रति।		
6	पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में उपयोग होने वाले Restricted कीटनाशी के भंडारण तथा उपयोग करने हेतु कीटनाशी अनुज्ञप्ति फार्म-VIC की प्रति		
7	पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन के अनुज्ञप्तिधारी के लिए शैक्षणिक योग्यता, सी०एफ०टी०आर०आई, मैसूर/आई०जी०एस०आई०, हापुड/एन०पी०पी०टी०आई०, हैदाराबाद से प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र की प्रति।		
8	पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन के लिए धुम्रीकरण आदि क्रियाओं के लिए भारत सरकार के पौधा संरक्षण, सलाहकार से अनुज्ञा तथा अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र		
9	पौधा संरक्षण, सलाहकार भारत सरकार द्वारा निर्गत अनुज्ञा/अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र में विहित दिशा-निर्देश के अनुपालन के संबंध में एवं कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा-33 के तहत शपथ पत्र की मूल प्रति।		
10	राज्य में पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन के लिए वाणिज्य कर विभाग से सेवा शुल्क तथा वाणिज्य कर के लिए निबंधन प्रमाण-पत्र।		
11	कार्यालय/भंडार स्थल की ओनरशिप/लीज संबंधी प्रमाण-पत्र		
12	Restricted कीटनाशी भंडारण स्थल पर अग्निशमन सहित अन्य सुरक्षा मानकों के संबंध में सामग्रियों की सूची प्रमाण-पत्र के साथ		
13	संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/स्थानीय पदाधिकारी का स्थलीय जॉच प्रतिवेदन।(आवेदन प्राप्त होने के बाद अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा स्थलीय जॉच प्रतिवेदन प्राप्त की जायेगी)		

सहायक प्रशाखा पदा०

स०कृ०निदे०(सां०) सं०कृ०निदे०

कृषि निदेशक

कॉमर्शियल पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन की अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु चेकलिस्ट की विवरणी

क्र० सं०	आवश्यक अभिलेखों की विवरणी	पृ० सं०	टिप्पणी
1	प्रपत्र VIB में आवेदन सभी सूचनाओं सहित हस्ताक्षरित एवं तिथि।		
2	1000/-रु० का कोषागार चालान की मूलप्रति। विलम्ब से आवेदन करने पर अधिकतम 3 माह तक विलम्ब शुल्क, प्रथम माह में 10/-, दूसरे माह में 20/-, तीसरे माह में 30/- (शीर्ष- कृषि कार्य 010 पौ०सं०यो० से प्राप्तियाँ, पौ०सं०यो० कीट अधिनियम 1968 के अंतर्गत अनुज्ञा शुल्क से आये उपशीर्ष-0001-पौ०सं० विपत्र कोड-R-0401001070001)		
3	प्रतिष्ठान के आवेदनकर्ता का पदनाम एवं आवश्यक होने पर सक्षम प्राधिकार से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु प्राधिकार पत्र		
4	आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का अद्यतन पासपोर्ट साईज का दो फोटो।		
5	आवेदक का फोटो पहचान-पत्र स्वअभिप्रमाणित प्रति।		
6	पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में उपयोग होने वाले Restricted कीटनाशी के भंडारण तथा उपयोग करने हेतु कीटनाशी अनुज्ञप्ति फार्म-VIC की नवीकृत प्रति		
7	पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन के अनुज्ञप्तिधारी के लिए शैक्षणिक योग्यता, सी०एफ०टी०आर०आई, मैसूर/ आई०जी०एस०आई०, हापुड़/ एन०पी०पी०टी०आई०, हैदाराबाद से प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र की प्रति।		
8	पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन के लिए धूम्रीकरण आदि क्रियाओं के लिए भारत सरकार के पौधा संरक्षण, सलाहकार से अनुज्ञा तथा अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र की नवीकृत प्रति		
9	पौधा संरक्षण, सलाहकार भारत सरकार द्वारा निर्गत अनुज्ञा/अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र में विहित दिशा-निर्देश के अनुपालन के संबंध में एवं कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा-33 के तहत शपथ पत्र की मूल प्रति।		
10	राज्य में पेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन के लिए वाणिज्य कर विभाग से सेवा शुल्क तथा वाणिज्य कर देयता प्रमाण-पत्र।		
11	Restricted कीटनाशी भंडारण स्थल पर अग्निशमन सहित अन्य सुरक्षा मानकों के संबंध में सामग्रियों की सूची प्रमाण-पत्र के साथ		
12	संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी/स्थानीय पदाधिकारी का स्थलीय जाँच प्रतिवेदन।(आवेदन प्राप्त होने के बाद अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा स्थलीय जाँच प्रतिवेदन प्राप्त की जायेगी)		

सहायक प्रशाखा पदा०

स०कृ०निदे०(सां०)

सं०कृ०निदे०

कृषि निदेशक

अनुज्ञप्ति में कीटनाशी इंडोर्समेन्ट हेतु चेकलिस्ट की विवरणी

क्र० सं०	आवश्यक अभिलेखों की विवरणी	पृ० सं०	टिप्पणी
1	इंडोर्समेन्ट के लिए आवेदन सभी सूचनाओं सहित हस्ताक्षरित एवं तिथि।		
2	प्रति कीटनाशी 30/- अधिकतम 300/-रु० का कोषागार चालान की मूलप्रति। (शीर्ष- कृषि कार्य 010 पौ०सं०यो० से प्राप्तियाँ, पौ०सं०यो० कीट अधिनियम 1968 के अंतर्गत अनुज्ञा शुल्क से आये उपशीर्ष-0001-पौ०सं० विपत्र कोड-R-0401001070001)		
3	प्रतिष्ठान के आवेदनकर्ता का पदनाम एवं आवश्यक होने पर सक्षम प्राधिकार से अनुज्ञप्ति प्राप्त करने हेतु प्राधिकार पत्र		
4	कृषि निदेशालय द्वारा पूर्व में निर्गत विनिर्माण/विपणन अनुज्ञप्ति में कीटनाशी की सूची		
5	इंडोर्समेन्ट के कीटनाशी का सी०आई०बी० निबंधन पत्र की प्रति।		
6	कृषि निदेशक, बिहार को संबोधित प्रिंसिपल निर्गत करने वाले व्यक्ति का प्रमाणित हस्ताक्षर सहित प्राधिकार पत्र		
7	इंडोर्समेन्ट वाले कीटनाशी के संबंध में फार्म-VID में कंपनी द्वारा उपयुक्त सूचनाओं सहित निदेशक, कृषि, बिहार के नाम से निर्गत प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की तीन प्रति।		
8	नये कीटनाशी विनिर्माण के लिए बी०आई०एस० स्टैण्डर्ड के जाँच हेतु प्रयोगशाला में व्यवस्था के संबंध में सामग्रियों की सूची प्रमाण-पत्र के साथ		
9	अनुज्ञप्ति प्राप्त करने अथवा वाणिज्यिक अनुबंध में अनुज्ञप्ति प्राप्त करने वाले प्रतिष्ठान के संबंध में कृषि निदेशक द्वारा स्वीकृति पत्र।		
10	विनिर्माण प्रतिष्ठान का बिहार में वाणिज्यिक अनुबंध वाले प्रतिष्ठान के बीच नोटरी द्वारा प्रमाणित अनुबंध पत्र की प्रति। (मार्केटिंग एग्रीमेन्ट)		
11	कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा-33 के तहत शपथ पत्र		

सहायक प्रशाखा पदा०

स०कृ०निदे०(सां०) सं०कृ०निदे०

कृषि निदेशक

अनुसूची -7

अनुज्ञप्ति में कीटनाशी इंडोर्समेन्ट निष्पादन हेतु
पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए समय-सीमा (कुल 27 दिन) का निर्धारण

क्र० सं०	सहायक / पदाधिकारी	निर्धारित समय
1	सहायक	1. आवेदन प्राप्त होने की तिथि के दो दिनों के अन्दर आवेदन पत्र में सूचनाओं तथा अनुलग्नों की समीक्षा करेंगे एवं अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुकूल स्थिति होने पर स्थलीय जाँच हेतु प्रस्ताव संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) को उपस्थापित करेंगे। आवेदन पत्र में सूचना सही नहीं रहने तथा चेकलिस्ट अनुसूची-6 में वांछित अभिलेख नहीं रहने के स्थिति में प्रतिष्ठान के आवेदन कारण सहित अस्वीकृत करने का प्रस्ताव उपस्थापित करेंगे।
2	प्रशाखा पदाधिकारी	सहायक द्वारा उपस्थापित प्रस्ताव का समीक्षा करेंगे तथा एक दिन के अन्दर उच्च पदाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव उपस्थापित करेंगे।
3	सहायक निदेशक (सां०)	प्रशाखा पदाधिकारी द्वारा उपस्थापित किये गये प्रस्ताव के समीक्षा के साथ अनुमोदन सहित एक दिन में उच्च पदाधिकारी को अग्रसारित करेंगे
4	संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान)	अग्रसारित प्रस्ताव के आलोक में स्थलीय जाँच हेतु अथवा आवेदन अस्वीकृत करने की कार्रवाई एक दिन के अन्दर सुनिश्चित करेंगे।
5	राज्य स्तरीय अनुज्ञापन पदाधिकारी	अनुमोदित प्रस्ताव के आलोक में दो दिनों के अन्दर कीटनाशी विपणन अनुज्ञप्ति इंडोर्समेन्ट आदेश निर्गत करेंगे।

नोट :- आवेदन पत्र, मोबाईल नं० पूर्ण पते के साथ स्वीकार की जायेगी। कागजात की आंशिक कमी रहने पर दूरभाष पर सम्पर्क कर आवेदन संबंधित सहायक द्वारा पूर्ण करायी जा सकेगी।

क्षेत्रीय स्तर पर नया कीटनाशी विपणन अनुज्ञप्ति हेतु चेकलिस्ट की विवरणी

क्र० सं०	आवश्यक अभिलेखों की विवरणी	पृ० सं०	टिप्पणी
1	प्रपत्र VI में आवेदन सभी सूचनाओं सहित हस्ताक्षरित एवं तिथि।		
2	शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति कीटनाशी 30/- अधिकतम 300/-रु० का कोषागार चालान की मूलप्रति। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिकतम 60/-रु० का कोषागार चालान की मूलप्रति। (शीर्ष- कृषि कार्य 010 पौ०सं०यो० से प्राप्तियों, पौ०सं०यो० कीट अधिनियम 1968 के अंतर्गत अनुज्ञा शुल्क से आये उपशीर्ष-0001-पौ०सं० विपत्र कोड-R-0401001070001)		
3	आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का अद्यतन पासपोर्ट साईज का दो फोटो।		
4	आवेदक का फोटो पहचान-पत्र स्वअभिप्रमाणित प्रति।		
5	वाणिज्य कर शोधन अनापत्ति प्रमाण-पत्र।		
6	फार्म- VID में कंपनियों का उपयुक्त सूचनाओं सहित क्षेत्रीय स्तर के अनुज्ञापन पदाधिकारी (संयुक्त कृषि निदेशक, पौ०सं०/उप कृषि निदेशक, पौ०सं०/जिला कृषि पदाधिकारी) के नाम से निर्गत प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की तीन प्रति।		
7	बिहार में वाणिज्य विभाग से कर शोधन अनापत्ति प्रमाण-पत्र		
8	कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा-33 के तहत शपथ पत्र		
9	कीटनाशी विक्रय/भंडारण स्थल पर सुरक्षा मानकों की सूची प्रमाण-पत्र के साथ		
10	कार्यालय/भंडार स्थल की ओनरशिप/लीज संबंधी प्रमाण-पत्र		
11	अनुज्ञापन पदाधिकारी के अधीनस्थ कीटनाशी निरीक्षक द्वारा स्थलीय जाँच प्रतिवेदन।(आवेदन प्राप्त होने के बाद अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा स्थलीय जाँच करायी जायेगी)		

सहायक

सं०कृ०निदे०/उप कृषि निदेशक/जिला कृषि पदाधिकारी

अनुसूची-8 (ख)

क्षेत्रीय स्तर पर कीटनाशी विपणन अनुज्ञप्ति नवीकरण हेतु चेकलिस्ट की विवरणी

क्र० सं०	आवश्यक अभिलेखों की विवरणी	पृ० सं०	टिप्पणी
1	प्रपत्र VII में आवेदन सभी सूचनाओं सहित हस्ताक्षरित एवं तिथि।		
2	पूर्व में निर्गत कीटनाशी अनुज्ञप्ति का मूल प्रमाण-पत्र		
3	शहरी क्षेत्रों के लिए प्रति कीटनाशी 30/- अधिकतम 300/-रु० का कोषागार चालान की मूलप्रति। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अधिकतम 60/-रु० का कोषागार चालान की मूलप्रति। विलम्ब से आवेदन करने पर अधिकतम 3 माह तक विलम्ब शुल्क, प्रथम माह में 10/-, दूसरे माह में 20/-, तीसरे माह में 30/- (शीर्ष- कृषि कार्य 010 पौ०सं०यो० से प्राप्तियाँ, पौ०सं०यो० कीट अधिनियम 1968 के अंतर्गत अनुज्ञा शुल्क से आये उपशीर्ष-0001-पौ०सं० विपत्र कोड-R-0401001070001)		
4	आवेदक/प्राधिकृत व्यक्ति का अद्यतन पासपोर्ट साईज का दो फोटो।		
5	आवेदक का फोटो पहचान-पत्र स्वअभिप्रमाणित प्रति।		
6	वाणिज्य कर अद्यतन देयता प्रमाण-पत्र।		
7	फार्म- VID में कंपनियों का उपयुक्त सूचनाओं सहित क्षेत्रीय स्तर के अनुज्ञापन पदाधिकारी (संयुक्त कृषि निदेशक, पौ०सं०/उप कृषि निदेशक, पौ०सं०/जिला कृषि पदाधिकारी) के नाम से निर्गत प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की तीन प्रति।		
8	बिहार के वाणिज्य विभाग से कर शोधन अनापत्ति प्रमाण-पत्र		
9	कीटनाशी अधिनियम 1968 की धारा-33 के तहत शपथ पत्र		
10	कीटनाशी विक्रय/भंडारण स्थल पर सुरक्षा मानकों की सूची प्रमाण-पत्र के साथ		
11	गत अनुज्ञप्ति अवधि में कीटनाशी की प्राप्ति तथा विक्रय की विवरणी।		
12	अनुज्ञापन पदाधिकारी के अधीनस्थ कीटनाशी निरीक्षक द्वारा स्थलीय जाँच प्रतिवेदन।(आवेदन प्राप्त होने के बाद अनुज्ञापन पदाधिकारी के द्वारा स्थलीय जाँच करायी जायेगी)		

सहायक

सं०कृ०निदे०/उप कृषि निदेशक/जिला कृषि पदाधिकारी

अनुसूची-9

संयुक्त कृषि निदेशक, पौ०सं०/उप कृषि निदेशक, पौ०सं०/जिला कृषि पदाधिकारी स्तर पर कीटनाशी विपणन अनुज्ञप्ति (नया एवं नवीकरण) निष्पादन हेतु पदाधिकारियों/कर्मियों के लिए समय-सीमा (कुल 16 दिन) का निर्धारण

क्र० सं०	सहायक / पदाधिकारी	निर्धारित समय
1	सहायक	<p>1. आवेदन प्राप्त होने की तिथि के दो दिनों के अन्दर आवेदन पत्र में सूचनाओं तथा अनुलग्नकों की समीक्षा करेंगे एवं अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुकूल स्थिति होने पर स्थलीय जाँच हेतु प्रस्ताव अपने से संबंधित क्षेत्रीय कीटनाशी अनुज्ञापन पदाधिकारी को उपस्थापित करेंगे।</p> <p>2. आवेदन पत्र में सूचना सही नहीं रहने तथा चेकलिस्ट अनुसूची-8(क)/(ख) में वांछित अभिलेख नहीं रहने के स्थिति में प्रतिष्ठान के आवेदन कारण सहित अस्वीकृत करने का प्रस्ताव उपस्थापित करेंगे।</p> <p>अथवा</p> <p>आवेदन पूर्ण होने की स्थिति में स्थलीय जाँच के बिन्दुओं का स्पष्ट उल्लेख करते हुये कीटनाशी निरीक्षक से जाँच के लिए प्रस्ताव उपस्थापित करेंगे।</p>
2	स्थलीय जाँच पदाधिकारी	क्षेत्रीय कीटनाशी अनुज्ञप्ति पदाधिकारी के अधीन उपलब्ध कीटनाशी निरीक्षक के द्वारा 10 दिनों के अन्दर परिशिष्ट-2 में उल्लिखित बिन्दुओं के संबंध में विपणन प्रतिष्ठान की स्थलीय जाँच की कार्रवाई पूर्ण कर उन्हें उपलब्ध करेंगे।
3	क्षेत्रीय कीटनाशी अनुज्ञापन पदाधिकारी (संयुक्त कृषि निदेशक, पौ०सं०/उप कृषि निदेशक, पौ०सं०/जिला कृषि पदाधिकारी)	<p>1. क्षेत्रीय कीटनाशी अनुज्ञप्ति पदाधिकारी एक दिन के अन्दर उपलब्ध प्रस्ताव का निष्पादन करेंगे।</p> <p>2. स्थलीय जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त स्थिति सकारात्मक रहने पर फार्म-VIII में अनुज्ञप्ति एक दिन में निर्गत करेंगे अथवा आवेदन को अस्वीकृत करेंगे।</p>

नोट :-आवेदन पत्र, मोबाईल नं० पूर्ण पते के साथ स्वीकार की जायेगी। कागजात की आंशिक कमी रहने पर दूरभाष पर सम्पर्क कर आवेदन संबंधित सहायक द्वारा पूर्ण करायी जा सकेगी।

परिशिष्ट-1

कीटनाशी विनिर्माण प्रतिष्ठान के स्थलीय जॉच के बिन्दू

1. प्रतिष्ठान का नाम
2. प्रोपराईटर का नाम
3. प्रयोगशाला विशेषज्ञ का नाम
4. प्रतिष्ठान स्थल के चौहद्दी का विवरण :-
5. प्रतिष्ठान को कीटनाशी विनिर्माण के यंत्रों/मशीनों का विवरण :-
6. प्रतिष्ठान के कीटनाशी भंडारण स्थल का विवरण :-
7. प्रतिष्ठान के कीटनाशी भंडारण स्थल की भौतिक अवस्था :-
8. प्रतिष्ठान के कीटनाशी भंडारण क्षमता का विवरण :-
9. विनिर्मित की जाने वाली कीटनाशी के गुण नियंत्रण हेतु यंत्र उपकरण, रसायन, कौंच उपकरण आदि का विवरण :-
10. विनिर्माता द्वारा प्रयोगशाला हेतु भंडारण पंजी तथा गुण नियंत्रण परीक्षण पंजी की उपलब्धता :-
11. कर्मचारियों के स्वास्थ्य परीक्षण की पंजी :-
12. विनिर्माण स्थल पर अग्निशमन की व्यवस्था का विवरण :-
13. प्राथमिक उपचार की व्यवस्था :-
14. कीटनाशी विनिर्माण के लिए प्राप्त रसायनों की भंडार पंजी, खपत पंजी
15. विनिर्मित कीटनाशियों की भंडार पंजी तथा विक्रय पंजी :-
16. कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के नियम 10(सी0) का अनुपालन
17. कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के नियम 10(बी0) के अनुपालन हेतु पंजी का निर्धारण
18. अन्यान्य
19. जॉच पदाधिकारी का मंतव्य एवं अनुशंसा

जॉच पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर

परिशिष्ट-2

राज्य स्तरीय तथा क्षेत्रीय स्तरीय कीटनाशी विपणन अनुज्ञप्ति के लिए स्थलीय जाँच के बिन्दु

1. प्रतिष्ठान का नाम
2. प्रोपराईटर का नाम
3. प्रतिष्ठान स्थल के चौहद्दी का विवरण :-
4. प्रतिष्ठान के कीटनाशी भंडारण स्थल का विवरण :-
5. प्रतिष्ठान के कीटनाशी भंडारण स्थल की भौतिक अवस्था :-
6. प्रतिष्ठान के कीटनाशी भंडारण क्षमता का विवरण :-
7. भंडारण/विक्रय स्थल पर अग्निशमन की व्यवस्था का विवरण :-
8. प्राथमिक उपचार की व्यवस्था :-
9. कीटनाशी विपणन हेतु भंडार पंजी, विक्रय पंजी, प्राप्ति रसीद, विक्रय रसीद के संधारण की स्थिति :-
10. भंडार पंजी, विक्रय पंजी में कीटनाशी के अद्यतन स्थिति :-
11. कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के नियम 10(सी0) का अनुपालन
12. कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 के नियम 10(बी0) के अनुपालन
13. अन्यान्य
14. जाँच पदाधिकारी का मंतव्य एवं अनुशंसा

जाँच पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर